

# उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

क्षेत्रीय कार्यालय, एच-169, सेक्टर गामा-2

ग्रेटर-नोएडा सिटी, गौतमबुद्धनगर।

संख्या: 730 / क्षे०का० / उ०प्र०रे० / पंजी०प्रति०संहरण / 2019-20

दिनांक: 23 मई, 2019

प्रेषक

सचिव,

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,  
लखनऊ।

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,  
पंजाब नेशनल बैंक,  
मेट्रो हॉस्पिटल सेक्टर-12,  
नोएडा।

विषय: मे० उन्नति फार्चून होलिडंग्स प्रा०लि० की उ०प्र० रे० में पंजीकृत परियोजना 'दि अरन्या' फेज-3, 4 एवं 5 रे० पंजीयन संख्या UPRERAPRJ6988, UPRERAPRJ7010 एवं UPRERAPRJ7028 के बैंक एकाउन्टस निष्क्रिय (फीज) करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे आप से यह कहने के निर्देश हुए हैं कि उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के आदेश संख्या 715, 716 एवं 717 दिनांक 23 मई, 2019 द्वारा मे० उन्नति फार्चून होलिडंग्स लि० की जनपद गौतमबुद्ध नगर, नवीन ओखला इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी में स्थित/आनगोइंग परियोजना दि अरन्या फेज-3, पंजीयन संख्या- UPRERAPRJ6988, अरन्या फेज-4 UPRERAPRJ7010 एवं अरन्या फेज-5 UPRERAPRJ7028 का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। प्रोमोटर मे० उन्नति फार्चून होलिडंग्स लि० को उ०प्र० रे० की वेबसाइट पर पहुंच बनाने से प्रतिबन्धित कर दिया गया है। सम्बन्धित बैंकों को परियोजना का बैंक एकाउन्ट निष्क्रिय (फीज) करने के आदेश दे दिए गए हैं। प्रोमोटर की फोटो उ०प्र० भू-सम्पदा की वेबसाइट up-rera.in पर डाल दी गई है तथा उसे डिफाल्टर (चूककर्ता) की सूची में डाल दिया गया है।

अतः भू-सम्पदा (नियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के प्राविधानों के दृष्टिगत आप से अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत परियोजना का आप की बैंक शाखा में एकाउन्ट नं० 466000210003642 को तत्काल निष्क्रिय (फीज) करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

/

(अबरार अहमद)

सचिव

## संख्या एवं दिनांक तदैव।

### प्रतिलिपि:

- प्रतिलिपि:
1. मा० अध्यक्ष, उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अवलोकनार्थ कृपया।
  2. मा० सदस्यगण, उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
  3. प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-३ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया।
  4. प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
  5. वित्त नियन्त्रक, उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को इस अनुरोध से कि कृपया उपर्युक्त तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
  6. तकनीकी सलाहकार, उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
  7. सहायक निदेशक (सिस्टम्स) उ०प्र० रेसा को समस्त बैंक शाखाओं को ई-मेल द्वारा भेजने तथा उ०प्र० रेसा की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
  8. कार्यालय प्रतिलिपि।

४  
(अबरूप अहमद)  
सचिव